

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 11

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02146

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "डॉल्फिन ज्वेल ओ", प्रमोटर-डॉल्फिन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा-श्री हरमीत सिंग होरा, पता-ए-1, साईं नगर, देवेन्द्र नगर रोड, जिला-रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट-"डॉल्फिन ज्वेल ओ" पता-डूमरतराई, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
24/06/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "डॉल्फिन ज्वेल ओ" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA060718000482 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 06.07.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.01.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 12.01.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनांक 30.01.2023 को समाप्त हो गई है। अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि श्री अलोक अग्रवाल प्रकरण में उपस्थित हुये और कार्य पूर्णता प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.12.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन की वैधता</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 11

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02146

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "डॉल्फिन ज्वेल ओ", प्रमोटर-डॉल्फिन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा-श्री हरमीत सिंग होरा, पता-ए-1, साईं नगर, देवेन्द्र नगर रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"डॉल्फिन ज्वेल ओ" पता-डूमरतराई, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>तिथि समाप्त होने के पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	